भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ता मामले विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1507
जिसका उत्तर शुक्रवार 29 जुलाई, 2022 को दिया जाएगा

आम आदमी पर मूल्य वृद्धि का प्रभाव

1507. श्री राम नाथ ठाकुर:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा आवश्यक खाद्य वस्तुओं की बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए मद-वार क्या कदम उठाए गए हैं;
(ख) महंगाई बढ़ाने हेतु कौन-कौन से कारक जिम्मेदार हैं, क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई अध्ययन करवाया गया है;
(ग) महंगाई आम आदमी की दिनचर्या को कितनी प्रभावित कर रही है;
(घ) क्या सरकार आम आदमी को महंगाई से बचाने हेतु राशन कार्ड बनाने के मानकों में ढिलाई या संशोधन करने पर विचार करेगी; और
(ड.) राशन कार्ड बनाने के मानकों में कब-कब परिवर्तन किया गया है?

उत्तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) से (ग): उपभोक्ता मामले विभाग, देश भर में राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा केंद्रीय सहायता से स्थापित 184 मूल्य निगरानी केन्द्रों के माध्यम से प्रस्तुत की गई 22 आवश्यक खाद्य वस्तुओं की दैनिक खुदरा और थोक कीमतों की निगरानी करता है। कीमतों के रूझानों को ध्यान में रखते हुए, सरकार आवश्यक खाद्य वस्तुओं की घरेलू उपलब्धता बढ़ाने और उनकी कीमतों को स्थिर बनाने के लिए तथा पूरे भारत के उपभोक्ताओं के लिए उन्हें वहनीय कीमत पर सुलभ बनाने के लिए समय-समय पर विभिन्न उपाय करती है। इन उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ, कीमतों में नरमी लाने के लिए बफर से रिलीज, स्टॉक-सीमाओं का अधिरोपण; जमाखोरी रोकने के लिए संस्थाओं द्वारा घोषित स्टॉक की निगरानी तथा आयात शुल्क को युक्तिसंगत बनाना, आयात कोटा में परिवर्तन, वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध जैसे व्यापार नीति के विभिन्न साधनों में अपेक्षित परिवर्तन करना भी शामिल है।

दालों और प्याज के बफर स्टॉक को मूल्य स्थिरीकरण के लिए बनाए रखा जाता है। बाजार में कीमतों में नरमी लाने के लिए बफर से दालों की रिलीज की जाती है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कल्याणकारी और पोषक स्कीमों के अंतर्गत वितरण के लिए निरंतर आधार पर आपूर्ति भी की जाती है। कीमतों में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कम उपलब्धता वाले मौसम (अगस्त-दिसंबर) के दौरान बफर से प्याज को एक लक्षित एवं अंशांकित तरीके से रिलीज किया जाता है।

घरेलू उपलब्धता को बढ़ाने के लिए दालों के सुचारू और निर्बाध आयात को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तूर और उड़द के आयात को दिनांक 31.03.2023 तक 'मुक्त श्रेणी' के तहत रखा गया है। मसूर के संबंध में, मूल आयात शुल्क को कम करके शून्य कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, कृषि विकास एवं अवसंरचना उपकर (एआईडीसी) को दिनांक 31.03.2023 तक कम करके शून्य कर दिया गया है।

खाद्य तेलों की घरेलू उपलब्धता में सुधार लाने और मूल्यों को नियंत्रित रखने के लिए, कच्चे पॉम तेल, कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे सूरजमुखी के तेल पर मूल शुल्क को 2.5% से कम करके शून्य कर दिया गया, और इन तेलों पर एआईडीसी को 5% कर दिया गया है। रिफाइंड सोयाबीन तेल एवं रिफाइंड सूरजमुखी तेल पर मूल शुल्क को 32.5% से कम करके 17.5% और रिफाइंड पॉम तेल पर 17.5% से कम करके 12.5% कर दिया गया है। सरकार ने रिफाइंड पॉम ऑयल के आयात को मुक्त श्रेणी के अंतर्गत दिनांक 31.12.2022 तक की अवधि के लिए विस्तारित किया है। इसके अतिरिक्त, एनसीडीईएक्स पर सरसों के बीज में वायदा व्यापार को निलंबित कर दिया गया है। देश में खाद्य तेलों एवं तिलहनों की सुचारू उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने 31 दिसंबर, 2022 तक की अवधि के लिए खाद्य तेलों एवं तिलहनों पर स्टॉक सीमा अधिरोपित की है। खाद्य तेलों की कीमतों में नरमी लाने और उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाने के लिए अपनी नवीनतम पहल में, सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 के लिए शून्य आयात शुल्क एवं शून्य एआईडीसी पर 20 एलएमटी कच्चे सोयाबीन तेल तथा 20 एलएमटी कच्चे सूरजमुखी तेल के आयात के लिए टैरिफ दर कोटा (टीआरक्यू) के आबंटन के लिए अधिसूचना जारी की है।

(घ) से (ड.): लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) का संचालन, केन्द्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के अंतर्गत किया जाता है। केन्द्र सरकार, केवल खरीद, एनएफएसए के अनुसार आबंटन और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में भारतीय खाद्य निगम के नामित डिपो तक ऐसे खाद्यान्नों के परिवहन के लिए जिम्मेदार है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के भीतर खाद्यान्नों के उठान और उनका वितरण, पात्र लाभार्थियों की पहचान, उन्हें राशन कार्ड जारी करने, शिकायतों के निवारण, उचित मूल्य दुकान (एफपीएस) के कामकाज की निगरानी आदि की प्रचालन संबंधी जिम्मेदारियां संबंधित राज्य/संघ राज्य सरकारों की हैं। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के प्रावधानों के अनुसार प्रशासित किया जाता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में, टीपीडीएस के तहत खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए ग्रामीण आबादी के 75% तक और शहरी आबादी के 50% तक की कवरेज का प्रावधान है। अधिनियम के तहत कवरेज दो श्रेणियों – अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के अंतर्गत कवर किए गए परिवारों एवं राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए निर्धारित कवरेज सीमा के अंदर, उनके द्वारा विकसित मानदंडों के अनुसार राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन द्वारा अभिचिह्नित प्राथमिकता वाले परिवारों (पीएचएच) के तहत की जाती है। अंत्योदय अन्न योजना परिवार प्रति माह प्रति परिवार 35 किलोग्राम खाद्यान्न और प्राथमिक श्रेणी से संबंधित परिवार प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न चावल/गेहूं/मोटे अनाज के लिए क्रमशः 3/2/1 रुपये प्रति किलोग्राम के अत्यधिक रियायती मूल्य पर प्राप्त करने के हकदार हैं।

******